उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या: 104/2016/1468/छप्पन-16-62/11

लखनऊ: दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1426/छप्पन-2011-26/08 टी0सी0, दिनांक 11 नवम्बर, 2011 के द्वारा श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह को व्याख्याता (एयरो) के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 31,000/- (रूपये इकतीस हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को कार्यभार ग्रहण किया, जिसकी अवधि दिनांक 29.11.2012 को समाप्त हो गयी। तदुपरान्त वर्षानुवर्ष इनकी संविदा अवधि बढ़ायी गयी है। अंतिम बार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1606/छप्पन-2015-62/2011, दिनांक 13.01.2016 द्वारा दिनांक 30.11.2015 से एक वर्ष के लिए बढ़ाई गयी थी, जिसकी अवधि दिनांक 29.11.2016 को समाप्त हो रही है। चूँकि श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह, व्याख्याता (एयरो) की सेवाओं की अभी आवश्यकता है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह, व्याख्याता (एयरो) की संविदा अवधि दिनांक 30.11.2016 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात 29.11.2017 तक) के लिए तथा शासनादेश संख्या- 1422/छप्पन-2014-17/2014, दिनांक 09.09.2014 के प्रस्तर-3 के बिन्दु-4 में निहित प्राविधानों के अनुसार रूपये 52,668/- (रूपये बावन हजार छः सौ अडसठ मात्र) में दिनांक 09.09.2016 से 05 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उनकी मासिक पारिश्रमिक 55,301/- (रूपये पचपन हजार तीन सौ एक मात्र) पर बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश देय होगा।

3- श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह, (संविदा)
व्याख्याता (एयरो)
एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 104/2016/1468(1)/छप्पन-16-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (आडिट/लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- कार्मिक अनुभाग-1

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।